

कार्यालय आयुक्त/पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक/EMRS/456/2023-24/13506

नवा रायपुर, दिनांक 14/03/2024


**छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों
में शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन
एवं प्रवेश परीक्षा की सूचना**

—00—

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2024-25 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु दिनांक 18 मार्च 2024 से पंजीयन प्रारंभ है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु नियमावली एवं प्रवेश नीति का अवलोकन तथा प्रवेश हेतु ऑनलाईन पंजीयन वेबसाइट <http://eklavya.cg.nic.in> पर किया जा सकता है।

1	वेबसाइट में ऑनलाईन आवेदन फार्म प्रारंभ की तिथि	दिनांक 18 मार्च 2024 से
2	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	दिनांक 18 अप्रैल 2024 तक
3	ऑनलाईन भरे गये फॉर्म में त्रुटि सुधार की तिथि	दिनांक 19 से 28 अप्रैल 2024 (रात्रि 11:59 बजे तक)
4	प्रवेश परीक्षा की तिथि	दिनांक 18 मई 2024 दिन-शनिवार


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त/पदेन सचिव

छ०ग० राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं
शैक्षणिक संस्थान समिति, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS)
कक्षा 6वीं में सीधे प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा
नियमावली एवं प्रवेश नीति 2024-25

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधीन
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अंतर्गत गठित
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति
इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)


उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, NESTS द्वारा प्रवर्तित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु

प्रवेश नीति वर्ष 2024-25

छत्तीसगढ़ राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का सामान्य परिचय:- भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित एवं शत-प्रतिशत सहायता प्राप्त प्रदेश में 74 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप गठित एक उच्च स्तरीय स्वशासी, "छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति" द्वारा किया जाता है। वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, (CBSE) से सम्बद्ध उक्त आवासीय विद्यालयों में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक/बालिकाओं हेतु कक्षा 6वीं से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से निःशुल्क अध्ययन की सुविधा है। इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु एक चयन परीक्षा का आयोजन कर मैरिट सूची तैयार की जाती है, जिसके आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

(1) योजना के उद्देश्य :-

1. अनुसूचित जनजाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करना उनका संचालन करना तथा इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु समस्त अनुषांगिक कार्य करना।
2. इन संस्थाओं में अध्ययनरत बालक एवं बालिकाओं के शैक्षणिक, मानसिक, शारीरिक तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास की गतिविधियां को बढ़ावा देना।
3. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के समकक्ष लाना।
4. विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएं:-

क्रमांक	विवरण
1	निःशुल्क मेस सुविधा
2	पोषण आहार
3	शाला गणवेश (टी शर्ट, शार्ट्स एवं ब्लेजर, पी.टी.शूज, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, ट्रैक सूट)
4	स्कूल बैग
5	डेली यूज आयटम (अंडर वियर, बनियान, टॉवेल, टूथब्रश पेस्ट, नारियल तेल एवं साबुन (नहाने/कपड़ा धोने)
6	स्वच्छता प्रसाधन हेतु (सेनेटरी नेपकिन)
7	पाठ्य पुस्तक/कापियां एवं लेखन सामग्री
8	यात्रा व्यय (घर से स्कूल आने जाने)
9	यात्रा व्यय (विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों के बाहर जाने पर दैनिक भत्ता)
10	चिकित्सा व्यय



उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, र

भाग 1—परिभाषाएँ:—

प्रवेश नीति वर्ष 2024-25 हेतु जारी दिशानिर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा इस प्रकार होगी: —

- i. "MoTA" भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, को संदर्भित करता है।
- ii. "NESTS" का अर्थ जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत) के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी, योजना, निर्माण, स्थापना, ईएमआरएस को प्रशासित करने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ईएमआरएस समितियों को समर्थन, समीक्षा/निगरानी और सलाह देना।
- iii. "State/UT EMRS Societies" संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ईएमआरएस को प्रशासित करने के लिए स्थापित सोसायटी हैं।
- iv. "EMRS" का अर्थ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है।
- v. "EMDBS" का अर्थ एकलव्य मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल है।
- vi. "CES" का अर्थ है खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence of sports)
- vii. "EMRSST" का अर्थ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा है।
- viii. "EMRSLT" का अर्थ है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की Lateral Entry Test।
- ix. "ST" का अर्थ अनुसूचित जनजाति है।
- x. "PVTG" का अर्थ है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह।
- xi. "DNT" का अर्थ है Denotified Tribes।
- xii. "NT" का अर्थ है Nomadic Tribes।
- xiii. "SNT" का अर्थ Semi-Nomadic Tribes है।
- xiv. "LWE" वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) को संदर्भित करता है।
- xv. विशेष आवश्यकता वाले और निःशक्तता से पीड़ित बच्चे का निर्धारण आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लेखित प्रावधान या संबंधित राज्य सरकार द्वारा परिभाषित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

भाग 2—सामान्य निर्देश:—

2.1 प्रवेश हेतु अर्हता (Admission Eligibility):— जिस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हो रहा है उस वर्ष में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु 31 मार्च की स्थिति में न्यूनतम आयु 10 वर्ष एवं अधिकतम आयु 13 वर्ष होना चाहिए।
टीपः— विद्यार्थी जिसकी जन्म तिथि 01 अप्रैल को है उसे भी विचार किया जायेगा।

2.2 कक्षा 6वीं में प्रत्येक कक्षा के 02 शिक्षक होंगे जिसमें प्रत्येक कक्षा में 30 विद्यार्थी प्रवेशित होंगे। प्रवेश देने हेतु विद्यालय के प्राचार्य सक्षम प्राधिकार होंगे।

2.3 कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु पात्रता की सामान्य मापदंड :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु पात्रता का मापदंड का विवरण निम्नानुसार है :-

1. विद्यार्थी की आयु 31 मार्च/01 अप्रैल 2024 को 10 से 13 वर्ष के मध्य हो।
2. प्रवेश के समय कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए (औपचारिक/अनौपचारिक)।
3. छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।
4. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा घोषित जनजातीय वर्ग/समुदाय का सदस्य हो।
5. विद्यार्थी को किसी अन्य विद्यालय से निष्काषित न किया गया हो।

टीपः—दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये आयु सीमा में अधिकतम 02 वर्ष की छूट रहेगी।

02
उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

(3) प्रवेश में आरक्षण :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के लिये निम्नानुसार आरक्षण लागू होगा :-

स.क्रं.	राज्य के लिये आरक्षण श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत में	प्रति कक्षा 60 सीटों की संख्या में से (प्रति सेक्शन 30 सीट)
(i)	अनुसूचित जनजाति वर्ग	80	48
(ii)	विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय हेतु	5	3
(iii)	DNT/NT/SNT समुदाय हेतु (इस वर्ग में विद्यार्थी नहीं मिलने पर प्राथमिकता विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय को दी जायेगी और विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदाय के विद्यार्थी नहीं मिलने पर अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा)	5	3
(iv)	a) वे बच्चे जिन्हें अपने माता पिता को वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह/कोविड से खो दिया है। b) विधवाओं के बच्चे। c) दिव्यांग माता-पिता के बच्चे। d) अन्य जैसे भूमि दान, अनाथ वर्ग के बच्चे आदि।	10	6
	योग	100	60
	1. "इसमें वामपंथी उग्रवाद के शिकार नागरिक और वामपंथी उग्रवाद से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले पुलिस/अर्धसैनिक/सशस्त्र बल के जवान शामिल हैं। 2. 5% यानी 60 में से 3 सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षित हैं। ये सीटें होंगी एसटी से 2 सीट और अन्य से 1 सीट अलग की।		
(v)	जिस विकासखंड में विद्यालय स्थित है उस विकासखंड के शासकीय अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक/पैरामेडिकल स्टॉफ/CES/ एकलव्य विद्यालयों के स्टॉफ के बच्चे।	इसके अंतर्गत 30 विद्यार्थियों की एक सेक्शन में अतिरिक्त 10 विद्यार्थियों का चयन किया जा सकेगा, इस प्रकार सेक्शन की अधिकतम क्षमता 40 की होगी। यह सुविधा स्टॉफ के केवल दो जीवित बड़े बच्चों को दी जाएगी। अतिरिक्त सीट से चयनित विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा और न ही कोई आर्थिक व्यय इन विद्यार्थियों पर किया जायेगा।	

टीप:- i. उपरोक्त कंडिका 2 (v) अंतर्गत विद्यार्थियों के प्रवेश की सुविधा अधिकतम 02 जीवित बच्चे, जो परिवार में आयु में सबसे बड़े हैं को दी जायेगी। प्रवेश हेतु प्राचार्य सक्षम रहेंगे। प्रवेशित हुए बच्चे को कोई अतिरिक्त आर्थिक सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी और ना ही इन विद्यार्थियों से फीस वसूली जायेगी।

ii. ट्रांसजेंडर श्रेणी के छात्रों को पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ट्रांसजेंडर श्रेणी को लड़कों की श्रेणी में विचार किया जाएगा।

i. यदि कोई विद्यार्थी एक से अधिक आरक्षित वर्ग में चयन होता है तो उसे उच्चतम आरक्षित प्रतिशत वाले वर्ग से लाभ दिया जायेगा।

ii. प्रत्येक वर्ग के लिए पृथक-पृथक मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा प्रत्येक वर्ग में बालक एवं बालिका हेतु पृथक-पृथक कट ऑफ अंक निर्धारित किया जायेगा।

60

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रं.

(4) विआरक्षण (Dereservation) :-

यदि किसी वर्ग में अपर्याप्त आवेदन प्राप्त होते हैं या प्रवेश परीक्षा उपरांत अपर्याप्त विद्यार्थी चयन होते हैं ऐसी स्थिति में विभिन्न जाति समूहों के लिये निर्धारित आरक्षण में परिवर्तन हेतु निम्नानुसार प्रावधान होगा :-

S.No.	Reservation Category	De-reserved into	When to de-reserve
1.	ST Children	PVTGs	15 days prior to the closing date of Admission Process.
	If vacancy still exists	DNT/NT/SNT	10 days prior to the closing date of Admission Process.
	If vacancy still exists	Reservation Category at point No. iv.	5 days prior to the closing date of Admission Process.
2.	PVTGs	ST Children	15 days prior to the closing date of Admission Process.
	If vacancy still exists	DNT/NT/SNT	10 days prior to the closing date of Admission Process.
	If vacancy still exists	Reservation Category at point No. iv.	5 days prior to the closing date of Admission Process.
3.	DNT/NT/SNT	ST Children	15 days prior to the closing date of Admission Process.
	If vacancy still exists	PVTGs	10 days prior to the closing date of Admission Process.
	If vacancy still exists	Reservation Category at point No. iv.	5 days prior to the closing date of Admission Process.
4.	Reservation Category at point No. iv.	ST Children	15 days prior to the closing date of Admission Process.
	If vacancy still exists	PVTGs	10 days prior to the closing date of Admission Process.
	If vacancy still exists	DNT/NT/SNT	5 days prior to the closing date of Admission Process.
5.	Boys' seats shall be de-reserved for Girls' and vice versa as per the criteria given above.		


उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग-3 ऑनलाईन प्रवेश चयन प्रक्रिया (कक्षा 6वीं हेतु) वर्ष 2024-25:-

कक्षा 6वीं में प्रवेश एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से लिया जायेगा। जिसे Eklavya Model Residential School Selection Test (EMRSST) कहा जायेगा। प्रवेश लेने वाले इच्छुक विद्यार्थियों को EMRSST में शामिल होना पड़ेगा तथा अर्हता अर्जित करनी होगी।

3.1 प्रवेश उद्घोषणा – प्रत्येक सत्र के लिए प्रवेश की घोषणा जारी कर दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, वेबसाइट एवं वेब पोर्टल तथा स्थानीय समाचार पत्रों एवं पॉम्प्लेट के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।

3.2 EMRSST के लिए आवेदन/पंजीयन हेतु प्रक्रिया –

- विद्यार्थी के प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु ऑनलाईन फॉर्म में अपलोड करने हेतु निर्धारित साईज का फोटो तथा प्रधानपाठक द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र **परिशिष्ट-दो** अनुसार होना चाहिये। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई किये हुए विद्यार्थी या NIOS प्रमाण पत्र वाले विद्यार्थी को **परिशिष्ट-एक** अनुसार **स्व-घोषणा पत्र** अपलोड करना चाहिये।
- प्रत्येक विद्यार्थी जो प्रवेश नीति के आरक्षण तथा आयु संबंधी अंतर्गत पात्रता रखता है इसके लिए आवेदन कर सकता है। **अतः परीक्षा फॉर्म भरने के पूर्व विद्यार्थी एवं अभिभावक यह सुनिश्चित कर ले कि इस परीक्षा के माध्यम से विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यार्थी समस्त अर्हताएं पूरी करता है जिससे संबंधित अभिलेख वह प्रवेश के समय विद्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।**
- आवेदन पत्र** – आवेदन पत्र वेबसाइट www.eklavya.cg.nic.in पर पूर्णतः ऑनलाईन मोड से दिनांक **18 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2024** तक भरे जायेंगे, जमा कर पावती ऑनलाईन प्राप्त कर सकेंगे। अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त किया जा सकेगा। ऑनलाईन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के संबंध में यूजर मेन्युअल वेबसाइट में उपलब्ध है।
- विद्यार्थियों के प्रवेश परीक्षा उपरांत प्रावधिक चयन सूची जारी की जायेगी। प्रावधिक रूप से चयनित विद्यार्थियों का शाला में प्रवेश के समय प्रवेश हेतु समस्त प्रकार के अर्हताएं जैसे-आयु, निवास, जाति आदि का प्रमाण पत्र जो प्रवेश नीति में अनिवार्य रूप से दी गयी है उपलब्ध कराना होगा। जांच "प्रवेश समिति" द्वारा की जायेगी तथा सभी प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। प्रमाण पत्र अपूर्ण या त्रुटि पाए जाने पर चयन निरस्त माना जायेगा तथा मेरिट क्रमानुसार प्रतीक्षा सूची के विद्यार्थी को प्रवेश हेतु अवसर प्रदान किया जाएगा।

3.3 आवेदन पत्र को जमा करने की अंतिम तिथि – आवेदन पत्र पूर्णतः ऑनलाईन मोड में भरे जा सकेंगे तथा आवेदन सबमिट उपरांत भरे गये आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र की पावती ऑनलाईन प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालयों की सूची जिसमें प्रवेश लिया जा सकता है, **परिशिष्ट-10** में संलग्न है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन करने संबंधी तिथियाँ निम्नानुसार हैं:-

पोर्टल में ऑनलाईन आवेदन फार्म उपलब्ध कराने की संभावित तिथि	18 मार्च 2024 से
ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	18 अप्रैल 2024 तक
ऑनलाईन भरे गये फॉर्म में त्रुटि सुधार की तिथि	19 से 26 अप्रैल 2024 (रात्रि 11:59 बजे तक)

3.4 प्रवेश पत्र जारी किया जाना – निर्धारित तिथि तक पंजीकृत एवं प्रावधिक रूप से पात्र पाए गए आवेदन पत्रों में से आवेदकों को चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र ऑनलाईन माध्यम द्वारा वेबसाइट पर परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व से प्रवेश परीक्षा की तिथि तक डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन हेतु किसी प्रकार आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। परीक्षा केन्द्र पर विद्यार्थी को अपने साथ आधार कार्ड/विद्यालय द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी युक्त परिचय पत्र/शासकीय विभाग द्वारा जारी किया गया फोटो आईडी का परिचय पत्र लाना होगा। प्रस्तुत किये गये परिचय पत्र एवं प्रवेश पत्र का विवरण एवं फोटो समान पाए जाने पर ही विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

3.5 प्रवेश परीक्षा की तिथि – प्रवेश परीक्षा का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रवेश परीक्षा की तिथि	18 मई 2024 दिन- शनिवार को प्रातः 10:00 से 12:00 बजे अपरान्ह तक (02 घण्टे) होगी।
------------------------	---

चयन परीक्षा में यदि किसी अपरिहार्य कारणों से संशोधन होता है तो इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं विभागीय कार्यालयों के सूचना पटल से प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु पृथक से आवेदक को सूचना नहीं दी जायेगी। अतः इस संबंध में संबंधित शाला के प्रधान पाठक/शिक्षक एवं अभिभावक स्वयं सतर्क रहें।

3.6 आवेदन पत्र एवं प्रवेश परीक्षा संबंधी सहायता हेतु हेल्पडेस्क –ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने, विद्यार्थी के पात्रता संबंधी जानकारी या परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी हेतु जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं उस जिले में संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालयों में हेल्पडेस्क स्थापित रहेगा। हेल्पडेस्क के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

3.7 EMRSST हेतु प्रवेश परीक्षा परिणाम – सभी परीक्षा परिणाम केन्द्र/राज्य/जिलों तथा विद्यालयों के वेबसाईट पर प्रदर्शित किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/जिला शिक्षा अधिकारी/विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी परीक्षा परिणाम उपलब्ध रहेंगे।

3.8 प्रावधिक परीक्षा परिणाम – परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रावधिक प्रवेश सूची जारी की जायेगी। मात्र प्रावधिक सूची में नाम होने से कोई भी विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लेने का अधिकार नहीं होगा। विद्यार्थी का विद्यालय में अंतिम प्रवेश समस्त वांछित अभिलेखों के सत्य पाये जाने एवं अर्हता अनुरूप रहने की शर्त पर ही हो सकेगा। अभिलेख गलत या अपूर्ण पाये जाने पर प्रवेश संभव नहीं होगा।

3.9 विवाद का निपटारा – प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद होने पर जिला कलेक्टर को प्रथम अपील की जायेगी। द्वितीय अपील राज्य स्तर पर आयुक्त, आदिवासी विकास एवं तृतीय अपील एवं अंतिम निर्णय सचिव, छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा किया जायेगा।

3.10 विद्यार्थियों का प्रवेश जारी मेरिट सूची के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें किसी परिस्थिति में अन्य विद्यालयों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3.11 विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यकता पड़ने पर काउंसिलिंग सत्र भी आयोजित किया जायेगा। जिससे वे विद्यालयों के प्राथमिकता एवं मेरिट को समझ सकें।

3.12 समस्त प्रवेश संबंधी कार्यवाही भारत सरकार, जनजातीय मंत्रालय (NESTS) द्वारा वर्ष 2023-24 एवं आगे के लिए जारी किये गये जारी गाईडलाईन के तहत की जायेगी।

3.13 ऑनलाईन फार्म भरने में समस्या का निराकरण- ईमेल cgemrsadmission2024@gmail.com पर समस्या दर्ज करायी जा सकती है।

भाग-4 EMRSST हेतु प्रश्न पत्रों की संरचना (कक्षा 6वीं हेतु):-

EMRSST ऑफलाईन मोड में आयोजित होगा। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे की होगी। कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो 03 खण्डों में विभाजित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। प्रश्न पत्र का स्तर एनसीईआरटी/एससीईआरटी/सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप कक्षा 5वीं के स्तर का हो सकेगा। परीक्षा के विषय निम्नानुसार है:-

परीक्षा का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अंक
मानसिक क्षमता विकास	50	50
अंकगणित परीक्षा	25	25
भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा) टेस्ट	25	25
कुल	100	100

टीप:- दिव्यांग छात्रों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

उत्तर लिखने की विधि:-

1. विद्यार्थी को ओ.एम.आर. पत्र द्वारा उचित स्थान पर उत्तर अंकित करने होंगे।
2. ओ.एम.आर. सीट पर लिखने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइन्ट पेन का ही प्रयोग करना होगा। जो उनको स्वयं परीक्षा तिथि के दिन लाना होगा। पेंसिल का प्रयोग सख्ती से निषेध होगा।


आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

3. प्रत्येक प्रश्न के 04 संभावित उत्तर होंगे। जिसमें से केवल एक ही सही होगा। उम्मीदवार को सही उत्तर का चयन कर चुने गये उत्तर के संगत गोले को पूर्ण रूप से भरना होगा। उदाहरण के लिए यदि आपका उत्तर, प्रश्न संख्या 10 के लिए B है तो B गोले को ही भरना होगा।

10.



4. ओ.एम.आर. में आंसर अंकित करने के बाद कोई भी सुधार की अनुमति नहीं है। एक प्रश्न के लिए एक से अधिक गोले को अंकित करने पर या गोला आधा भरे जाने पर उस प्रश्न उत्तर की गणना नहीं होगी।
5. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिया जाएगा एवं कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

मॉडल प्रश्न :-


मानसिक क्षमता विकास-

प्रश्न 1. इस अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए.... J, L, N, P,

- (a) Z (b) A
(c) R (d) Q

प्रश्न 2. आकृति में गोले की संख्या बताइए?

- (a) 2 (b) 1
(c) 3 (d) 4



अंक गणित-

प्रश्न-1. 4816-1381 में वास्तविक अंतर ज्ञात करें।

- (अ) 3456 (स) 4523
(ब) 3400 (द) 3435

प्रश्न-2. 3,4,6,7,10 का औसत बताइए।

- (अ) 8 (स) 5
(ब) 6 (द) 4

भाषा-


(1) उचित वर्ण भरकर शब्द को पूरा कीजिए।

क...ल

- (अ) म (स) क
(ब) ल (द) झ

(2) Mark the correct Word.

- (a) Pen (b) Ppn
(c) Nnp (d) Eep


उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग-5 आवेदन पत्रों के साथ संलग्न किये जाने दस्तावेज (कक्षा 6वीं हेतु):-

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रावधिक रूप से प्रवेश हेतु चयनित हुए विद्यार्थियों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के समय वांछित अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अतः सभी विद्यार्थी एवं पालक कृपया सूचित हों कि विद्यालय में प्रवेश हेतु निम्नांकित अभिलेखों को अभी से तैयार कर एवं बनवाकर रख ले जिससे प्रवेश में किसी प्रकार की परेशानी ना हो।

- i. नियमित अध्ययनरत नहीं है और घर में रहकर अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहा हो तो स्व-नियमित घोषणा प्रमाण पत्र या NIOS (National Institute of Open Schooling) का पंजीयन एवं उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट - 'एक')
- ii. कक्षा 5वीं उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र या स्कूल में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट- 'दो')
- iii. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- iv. आधार कार्ड।
- v. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र।
- vi. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आरक्षण हेतु स्थायी जाति प्रमाण पत्र।
- vii. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया आरक्षण हेतु PVTG जनजाति का प्रमाण पत्र।
- viii. विद्यार्थी की दिव्यांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- ix. विद्यार्थी के माता-पिता की दिव्यांगता की स्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- x. स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र।
- xi. यदि विद्यालय हेतु भूमि दान किये हों और अपने बच्चे को विद्यालय में प्रवेश कराना चाहते हैं तो अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व द्वारा जारी भूमिदान प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट - 'तीन')
- xii. विद्यार्थी की मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट- 'चार')
- xiii. सिकलसेल जांच का प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट- 'पाँच')
- xiv. यदि विधवा माता का पुत्र/पुत्री है तो इससे संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट- 'छ:')
- xv. डस विकासखण्ड में जहाँ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थित है के EMRS/EMDBS/CES के स्टाफ के बच्चों का प्राचार्य द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट- 'सात')
- xvi. शासकीय चिकित्सालयों में पदस्थ Doctors/Paramedical Staff के बच्चों को प्रवेश देने हेतु Parents का उनके विभाग द्वारा जारी सेवा प्रमाण-पत्र। (परिशिष्ट- 'आठ')
- xvii. LWE से पीड़ित और Police/Paramilitary/Armed Forces Personnel जो LWE से लड़ते हुए अपने जान गंवा चुके हैं तो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र। (परिशिष्ट- 'नौ')

उपायुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
छत्तीसगढ़, रायपुर

—:: स्व-घोषणा पत्र (माता-पिता द्वारा किया जाए)::—

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/माता/अभिभावक,
प्रमाणित करता हूं कि मेरा बच्चावर्ष का है और उसकी जन्मतिथि,
जन्म प्रमाण-पत्र की तिथि के अनुसार है।

मैं घोषित करता/करती हूं कि मेरे पुत्र/पुत्री (नाम) ने किसी
भी मान्यता प्राप्त स्कूल में औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा
प्राप्त की है और राज्य/केन्द्र सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम
के अनुसार अपनी आयु के लिए उपयुक्त आवश्यक योग्यता प्राप्त की है।

या

NIOS (National Institute of Open Schooling) द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और
चयन परीक्षा में शामिल होने हेतु पात्रता रखता है।

नाम

बच्चे के साथ संबंध

दिनांक

माता/पिता का हस्ताक्षर

// प्रधानपाठक का सत्यापन //

मैंने विद्यार्थी श्री/कुमारी.....का अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण
करना पाया है या विद्यार्थी द्वारा NIOS प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।

प्रधानपाठक का हस्ताक्षर
सील एवं मुद्रा सहित

62

कार्यालय प्रधान पाठक, माध्यमिक शाला

ग्राम वि.ख..... जिला..... (छ0ग0)

क्रमांक..... / 2024-25

दिनांक.....

वर्ष 2024-25 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रधानपाठक का सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी पिता.....
 ग्राम..... ग्राम पंचायत वि.ख.....
 जिला..... का निवासी है।

विद्यार्थी का
 पासपोर्ट फोटो
 चस्पा करे एवं
 फोटो पर
 प्राचार्य/प्रधानपाठ
 क द्वारा सील

विद्यालयीन अभिलेख के अनुसार विद्यार्थी से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	वास्तविक जानकारी							
		D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
1	जन्म तिथि								
2	लिंग (✓ का चिन्ह लगाए)	Boy		Girl		Transgender			
3	विद्यार्थी का जाति/वर्ग (छ.ग. राज्य)	GEN.	OBC	ST	SC	PVTG			
4	क्या विद्यार्थी कक्षा 5वीं उत्तीर्ण/अध्ययनरत है?								
5	विद्यार्थी 5वीं उत्तीर्ण है तो वर्ष								
6	क्या विद्यार्थी 40% से अधिक दिव्यांग है?								
7	क्या विद्यार्थी के माता-पिता वामपंथ/उग्रवाद/विद्रोह में जान गंवा चुके हैं?								
8	क्या विद्यार्थी की माता विधवा हैं?								
9	क्या विद्यार्थी अनाथ वर्ग में आता है?								
10	क्या विद्यार्थी के माता-पिता दिव्यांग है?								
11	क्या विद्यार्थी के माता/पिता एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में स्थाई पद पर कार्यरत है?								
12	विद्यार्थी के माता/पिता का मोबाईल नंबर								
13	विद्यार्थी के माता/पिता का हस्ताक्षर								
14	विद्यार्थी का हस्ताक्षर								

विद्यार्थी के उपरोक्त जानकारी का सत्यापन मेरे द्वारा विद्यालयीन अभिलेख से किया गया है, जो सत्य एवं सही है।

दिनांक

प्राचार्य/प्रधानपाठक का पदमुद्रा
 सहित हस्ताक्षर

कार्यालय – राजस्व विभाग, जिला.....(छ0ग0)

क्रमांक / / / / 2024-25

दिनांक

// भूमिदान प्रमाण – पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि(विद्यार्थी का नाम) के
माता-पिता.....(पिता/माता का नाम) ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के
लिए दिनांकस्थान.....को भूमिदान किया है।

अतः यह भूमिदान प्रमाण-पत्र प्रदाय किया जाता है।

(हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित)

राजस्व निरीक्षक

जिला.....(छत्तीसगढ़)

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जिला—.....(छ0ग0)

क्रमांक.....

दिनांक:

—:: चिकित्सा / स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र ::—

(चिकित्सा विभाग के पुनः निर्धारित प्रपत्र में)

यदि विद्यार्थी किसी असाध्य रोग से पीड़ित है या ऐसे रोग से पीड़ित है जिसमें विशेष परवरिश देखभाल और चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख दिया जाए। क्योंकि ऐसे विद्यार्थी को आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाना संभव नहीं होगा।

(हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित)

कार्यालय – मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला-.....(छ0ग0)

क्रमांक.....

दिनांक:

–::सिकलसेल परीक्षण प्रमाण – पत्र::–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.....(छात्र/छात्रा का नाम) उम्र.....पुत्र/पुत्री(माता/पिता का नाम) आज दिनांक....
..... को मेरे समक्ष अपने सिकलसेल परीक्षण के लिए उपस्थित हुए जिनका परीक्षण किया गया है और पाया गया है कि विद्यार्थी सिकलसेल Dominant/ Carrier (वाहक) है या विद्यार्थी सिकलसेल वाहक से पीड़ित नहीं है।

(हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित)

नोट :- (सिकलसेल Dominant / Carrier विद्यार्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं है)

कार्यालय – पंचायत/पार्षद कार्यालय.....

ग्राम/वार्ड..... जिला-.....(छोगो)

क्रमांक.....

दिनांक:

–:विधवा माता का प्रमाण-पत्र:–

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति.....के पति श्री.....

.....का दिनांकको निधन हुआ था एवं इनके पुत्र/पुत्री

(नाम).....है।

(सरपंच/पार्षद का नाम
सील एवं मुद्रा सहित)

कार्यालय – EMRS/EMDBS/CES का नाम.....जिला—..... (छ0ग0)

क्रमांक.....

दिनांक.....

EMRS/EMDBS/CES Staff के बच्चों को प्रवेश देने हेतु

प्राचार्य द्वारा जारी सेवा प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति.....

(EMRS/EMDBS/CES का नाम)..... जिला.....में दिनांक.....

.....(नियुक्ति की तिथि) से आज दिनांक.....तक(पद का नाम) पर

नियमित/स्थायी कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं एवं इनके पुत्र/पुत्री का नाम.....

.....है।

(हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित)

प्राचार्य का नाम.....

EMRS/EMDBS/CES का नाम.....

जिला.....(छत्तीसगढ़)

परिशिष्ट - ' आठ '

कार्यालय - शासकीय चिकित्सालय का नाम.....जिला-..... (छ0ग0)

क्रमांक.....

दिनांक.....

शासकीय चिकित्सालयों में पदस्थ Doctors/Paramedical Staff के बच्चों को प्रवेश देने हेतु
Parents का उनके विभाग द्वारा जारी सेवा प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति.....(शासकीय चिकित्सालय का नाम)..... जिला.....में दिनांक.....(नियुक्ति की तिथि) से आज दिनांक...
.....तक(Doctors/Paramedical Staff पद का नाम) पर नियमित/स्थायी कर्मचारी
के पद पर कार्यरत हैं एवं इनके पुत्र/पुत्री का नाम.....है।

(हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित)

जिला स्वास्थ्य अधिकारी का नाम.....

शासकीय चिकित्सालय का नाम.....

जिला.....(छत्तीसगढ़)

परिशिष्ट – 'नौ'

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला –(छ.ग.)

क्रमांक / पु.अ. / / / 2024-25

दिनांक:

// नक्सल पीड़ित प्रमाण – पत्र //

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/कु.....
आत्मज/आत्मजा.....ग्राम.....पोस्ट.....
तहसील.....जिला.....(छ.ग.) का निवासी है। आवेदक/आवेदिका के
पिता/माता/भाई/बहन (नाम).....को नक्सलियों द्वारा दिनांकको (घटना
का नाम).....के रूप में पीड़ित किया गया है। उक्त घटना के संबंध में थाना
.....जिला.....में अपराध क्र.....धारा.....के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध है।

आवेदक/आवेदिका श्री/कु.जो पीड़ित श्री/श्रीमति के
संबंध (रिश्ता) है। अतःनक्सल पीड़ित होने से यह प्रमाण-पत्र प्रदाय
किया जाता है।

हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

पुलिस अधीक्षक

जिला.....(छ.ग.)

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयवार सीटों की संख्या का विवरण:-

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय का नाम	शिक्षा का माध्यम	कक्षा-6वी में स्वीकृत सीट		
						बालक	बालिका	योग
1	सरगुजा	मैनपाट	बालक	EMRS, कमलेश्वरपुर,	अंग्रेजी	60	-	60
2		उदयपुर	संयुक्त	EMRS, रीखी	अंग्रेजी	30	30	60
3		सीतापुर	संयुक्त	EMRS, पेतला	अंग्रेजी	30	30	60
4		बतौली	कन्या	EMRS, शिवपुर	अंग्रेजी	-	60	60
5		लूण्ड्रा	संयुक्त	EMRS, लूण्ड्रा	अंग्रेजी	30	30	60
6	सूरजपुर	भैयाथान	बालक	EMRS, शिवप्रसादनगर	अंग्रेजी	60	-	60
7		ओड़गी,	संयुक्त	EMRS, ओड़गी,	अंग्रेजी	30	30	60
8		प्रतापपुर	संयुक्त	EMRS, खोरमा	अंग्रेजी	30	30	60
9		प्रेमनगर	कन्या	EMRS, पारवतीपुर	अंग्रेजी	-	60	60
10	रायगढ़	खरसिया	बालक	EMRS, छोटेमुड़पार	अंग्रेजी	60	-	60
11		धरमजयगढ़	संयुक्त	EMRS, बयासी	अंग्रेजी	30	30	60
12		घरघोड़ा	कन्या	EMRS, छतारांगढ़	अंग्रेजी	-	60	60
13		लैलूंगा	संयुक्त	EMRS, लैलूंगा	अंग्रेजी	30	30	60
14	कबीरधाम	बोड़ला	बालक	EMRS, तरेगांवजगल	अंग्रेजी	60	-	60
15	जगदलपुर	बकावण्ड	बालक	EMRS, करपावण्ड	अंग्रेजी	60	-	60
16		बस्तर	संयुक्त	EMRS, बेसोली	अंग्रेजी	30	30	60
17		तोकापाल	संयुक्त	EMRS, मेटावाड़ा	अंग्रेजी	30	30	60
18		लोहांडीगुड़ा	कन्या	EMRS, गधियों	अंग्रेजी	-	60	60
19		बास्तानार	संयुक्त	EMRS, कोडेनार	अंग्रेजी	30	30	60
20		दरभा	संयुक्त	EMRS, छिदवाड़ा	अंग्रेजी	30	30	60
21	कांकेर	अंतागढ़	बालक	EMRS, लामकन्हार	अंग्रेजी	60	-	60
22		कांकेर	संयुक्त	EMRS, बारदेवरी	अंग्रेजी	30	30	60
23		नरहरपुर	कन्या	EMRS, नरहरपुर	अंग्रेजी	-	60	60
24		भानुप्रतापपुर	संयुक्त	EMRS, फरासकोट	अंग्रेजी	30	30	60
25		दुर्गकोंदल	संयुक्त	EMRS, हिलचुर	अंग्रेजी	30	30	60
26	जशपुर	बगीचा	कन्या	EMRS, सन्ना	अंग्रेजी	-	60	60
27		जशपुर	संयुक्त	EMRS, घोलेंग	अंग्रेजी	30	30	60
28		कांसाबेल	संयुक्त	EMRS, धुधरुंड	अंग्रेजी	30	30	60
29		पथलगाँव	संयुक्त	EMRS, सुकरापारा	अंग्रेजी	30	30	60
30		फरसाबहार	संयुक्त	EMRS, फरसाबहार	अंग्रेजी	30	30	60
31	दंतेवाड़ा	कटेकल्याण	कन्या	EMRS, कटेकल्याण,	अंग्रेजी	-	60	60
32		दन्तेवाड़ा	संयुक्त	EMRS, दन्तेवाड़ा	अंग्रेजी	30	30	60
33		गीदम	संयुक्त	EMRS, हरम	अंग्रेजी	30	30	60
34		कुओंकोण्डा	कन्या	EMRS, कुओंकोण्डा	अंग्रेजी	-	60	60
35	राजनांदगांव	राजनांदगांव	संयुक्त	EMRS, पेण्डी	अंग्रेजी	30	30	60
36		मानपुर	संयुक्त	EMRS, ख्वासफड़की	अंग्रेजी	30	30	60
37		मोहला	संयुक्त	EMRS, माडिग फीडिंग धेनु	अंग्रेजी	30	30	60
38	कोरिया	खड़गवा	संयुक्त	EMRS, पोड़ीडीह	अंग्रेजी	30	30	60
39		सोनहत	संयुक्त	EMRS, घुघरा	अंग्रेजी	30	30	60
40		भरतपुर	संयुक्त	EMRS, जमथान	अंग्रेजी	30	30	60
41	बीजापुर	भैरमगढ़	संयुक्त	EMRS, भैरमगढ़	अंग्रेजी	30	30	60
42		बीजापुर	संयुक्त	EMRS, बीजापुर	अंग्रेजी	30	30	60
43		भोपालापटनम	कन्या	EMRS, रूद्राराम	अंग्रेजी	-	60	60
44		उसुर	संयुक्त	EMRS, डोंगीगुड़ा	अंग्रेजी	30	30	60
45	कोरबा	कटघोरा	संयुक्त	EMRS, छुरीकला	अंग्रेजी	30	30	60
46		पाली	संयुक्त	EMRS, लाफा	अंग्रेजी	30	30	60
47		पोड़ीपोड़ा	संयुक्त	EMRS, रामपुर	अंग्रेजी	30	30	60

क्र.	जिला	विकासखण्ड	विद्यालय का प्रकार	विद्यालय का नाम	शिक्षा का माध्यम	कक्षा-6वी में स्वीकृत सीट		
						बालक	बालिका	योग
48	जीपीएम	मरवाही	संयुक्त	EMRS, डोगरिया	अंग्रेजी	30	30	60
49		पेण्ड्रा	संयुक्त	EMRS, लाटा	अंग्रेजी	30	30	60
50		गौरेला	संयुक्त	EMRS, नेवसा-पेण्ड्रा रोड	अंग्रेजी	30	30	60
51	कोण्डागांव	कोण्डागांव	संयुक्त	EMRS, मर्दापाल	अंग्रेजी	30	30	60
52		केशकाल	संयुक्त	EMRS, बेडमा	अंग्रेजी	30	30	60
53		फरसगौव	संयुक्त	EMRS, चिचाड़ी	अंग्रेजी	30	30	60
54		बडेराजपुर	संयुक्त	EMRS, कोरगौव	अंग्रेजी	30	30	60
55		माकडी	संयुक्त	EMRS, माकडी	अंग्रेजी	30	30	60
56	नारायणपुर	नारायणपुर	संयुक्त	EMRS, छेरीबेड़ा	अंग्रेजी	30	30	60
57		ओरछा	संयुक्त	EMRS, छोटेडोगर	अंग्रेजी	30	30	60
58	बलरामपुर	बलरामपुर	संयुक्त	EMRS, भेलवाडीह	अंग्रेजी	30	30	60
59		वाडफनगर	संयुक्त	EMRS, बर्तीकला	अंग्रेजी	30	30	60
60		कुसमी	संयुक्त	EMRS, भुलसीकला	अंग्रेजी	30	30	60
61		रामचन्द्रपुर	संयुक्त	EMRS, देवगई	अंग्रेजी	30	30	60
62		राजपुर	संयुक्त	EMRS, नवापारा	अंग्रेजी	30	30	60
63		शंकरगढ़	संयुक्त	EMRS, दोहना	अंग्रेजी	30	30	60
64	सुकमा	सुकमा	संयुक्त	EMRS, सुकमा	अंग्रेजी	30	30	60
65		कोन्टा	संयुक्त	EMRS, ऐराबोर	अंग्रेजी	30	30	60
66		छिंदगढ़	कन्या	EMRS, बलटीकरा	अंग्रेजी	—	60	60
67	गरियाबन्द	छुरा	संयुक्त	EMRS, केसोडोर	अंग्रेजी	30	30	60
68		मैनपुर	संयुक्त	EMRS, गिरहोला	अंग्रेजी	30	30	60
69	धमतरी	नगरी	संयुक्त	EMRS, पथर्रीडीह	अंग्रेजी	30	30	60
70	बालोद	डौण्डी	संयुक्त	EMRS, दल्लीराजहरा	अंग्रेजी	30	30	60
71	बलौदाबाजार	कसडोल	संयुक्त	EMRS, बलदाकछार	अंग्रेजी	30	30	60
72	जांजगीर	शक्ती	संयुक्त	EMRS, पलारी खुर्द	अंग्रेजी	30	30	60
73	महासमुन्द	महासमुन्द	संयुक्त	EMRS, भोरिंग	अंग्रेजी	30	30	60
74	मुंगेली	लोरमी	संयुक्त	EMRS, बंधवा	अंग्रेजी	30	30	60
				योग		2100	2340	4440